

कार्यालय कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी जिला श्योपुर म.प्र.
कमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 3888 श्योपुर दिनांक 25.04.2020
आदेश

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण फैलने से रोकें जाने हेतु जिले में चल रहे लॉकडाउन दौरान निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. श्रमिकों को निर्माण कार्य स्थल पर ही रुकना होगा, आवागमन नहीं करेंगे।
 2. प्रत्येक कार्य स्थल पर 50 से अधिक मजदूर कार्य पर नहीं लगाये जायेंगे।
 3. श्रमिकों के ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था का उत्तर दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
 4. श्रमिकों को आवश्यक सामग्री मास्क, हैंडवास अथवा साबुन (सेनेटाइजर) पानी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
 5. विना मास्क श्रमिक कार्य नहीं करेंगे।
 6. प्रतिदिन निर्माण कार्य प्रारंभ करते समय व समाप्त करते समय प्रत्येक श्रमिक साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा।
 7. सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा मजदूरों के मध्य 6 फिट की दूरी रखा जाना अनिवार्य है।
 8. निर्माण विभागों / कार्य एजेंसी को लगाये मजदूरों से संबंधित जानकारी हेतु अभिलेख संधारण करना अनिवार्य होगा।
 9. निर्माण विभाग को मजदूरों से संबंधित संचारित जानकारी सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
- यह अनुमति उपरोक्त शर्तों के अधीन दी गई है शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित ठेकेदार व विभाग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी

जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश
श्योपुर, दिनांक 25.04.2020

पृ0कमांक / एस.डब्ल्यू. / 2020 / 3888 /
प्रतिलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
3. अपर कलेक्टर जिला श्योपुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर / कराहल / विजयपुर।
5. रागरत जिला कार्यालय प्रमुख
6. रागरत महाप्रबंधक / कार्यपालन यंत्री
श्योपुर।

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश